

**शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप**  
**[भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (ए)]**

(किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला)

मैं..... विधान सभा (\*या विधान परिषद) में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ / पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा ।

अभ्यर्थी का बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर और नाम

श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरे समक्ष..... (स्थान) पर .....(घंटा) 20..... के..... माह के इस दिन ..... ईश्वर के नाम पर शपथ ली/सत्यनिष्ठा से पुष्टि की।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और मुहर

**(शपथ की प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र)**

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(नाम) विधान सभा (\*या विधान परिषद) के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान के अनुसार मे .....(घंटा) पर.....(तिथि) पर आवश्यक शपथ/प्रतिज्ञान लिया है और उस पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम पदनाम और मुहर

दिनांक:

\* जो लागू नहीं है उसे काटें